

15/7/2034

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

आवक/पत्रा ~~द्वारा~~ ~~द्वारा~~ ~~द्वारा~~
बपन बहल 10 हुनी ~~द्वारा~~ ~~द्वारा~~ ~~द्वारा~~
विशेष ~~द्वारा~~ ~~द्वारा~~ ~~द्वारा~~
शिक्षण ~~द्वारा~~ ~~द्वारा~~ ~~द्वारा~~
पत्रा ~~द्वारा~~ ~~द्वारा~~ ~~द्वारा~~


उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

नम्बर व तारीख
जो इस हुक्म को
में जारी हुए

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्रावली के तहत सुनाए गए
निर्णय को चुकी है। इसलिए मूल
कापे के संवर्धित इस पत्रावली पर
पर अब आगे कोई कोई कार्यवाही
क्रिया जाना शेष नहीं रह जाता है
अतः महपत्रावली के अंतर्गत
धारा 212 RT Act के इसी
अनुसार पर कार्यवाही को समाप्त
(D 209) क्रिया जाना है पत्रावली
संलग्न मूल काप रहे।


अधिकारी
मुद्रा (विद्युत-संचालन)